



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

“ऑपरेशन कन्विकशन” के क्रम में हत्या करने के आरोपियों मोहन व अमित को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर प्रत्येक को हुआ आजीवन कारावास व 13 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2016 में अभियुक्तों मोहन व अमित पुत्रगण मानी उर्फ यशपाल निवासी ग्राम बसी थाना खेकडा जनपद बागपत द्वारा हत्या करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 366/16 धारा 302/323/452/504 भादवि व मु0अ0सं0 369/16 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 07.06.2024 को मा0 न्यायालय जिला जज जनपद बागपत द्वारा अभियुक्तों मोहन व अमित को दोषी पाते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास व 13 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

@baghpatpolice

baghpatpolice

Baghpat Police



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

लूट की घटना कारित करने के आरोपी बिल्लू को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुई 05 माह के कारावास व 1,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा।

अवगत कराना है कि अभियुक्त बिल्लू पुत्र बिसम्बर निवासी ग्राम काठा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत द्वारा वर्ष-1999 में लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0- 82/1999 धारा 392/411 भादवि पंजीकृत हुआ था। इस अभियोग में मॉनिटिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 07.06.2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी 01 जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त बिल्लू को दोषी पाते हुए 05 माह के कारावास व 1,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है। बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

Baghpat Police

baghpatpolice

@baghpatpolice



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 07.06.2024

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाना साइबर क्राइम पर पंजीकृत मु0अ0सं0 14/24 धारा 500/504 भादवि व 66डी आईटी एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 03 मोबाईल फोन, 02 सिमकार्ड व एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर व एक मोटर साईकिल हीरो होण्डा सुपर स्प्लैन्डर बिना नंबर प्लेट बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

सोशल मीडिया ट्विटर (X) अकाउंट Voice of India/ Voice Of Baghpat के धारक द्वारा दिनांक 23.05.2024 को एक वीडियो ट्विटर पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली बागपत के नाम से डाला गया जिसमें एक घर में एक महिला व कुछ बच्चे रूपयों को गिनते हुए



दिख रहे थे, इस वीडियो में उपस्थित महिला/बच्चों को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली बागपत के परिवार के सदस्य बताया गया, जो कि असत्य व वीडियो जनपद उन्नाव से सम्बन्धित था । ट्विटर धारक द्वारा पोस्ट कर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली बागपत के बारे में गलत टिप्पणी, अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर उनकी छवि धूमिल की गयी । इस सम्बन्ध में थाना साइबर क्राइम पर मु0अ0सं0 14/24 धारा 500/504 भादवि व 66डी आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया था ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाना साइबर क्राइम पर पंजीकृत मु0अ0सं0 14/24 धारा 500/504 भादवि व 66डी आईटी एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 03 मोबाईल फोन, 02 सिमकार्ड व एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर व एक मोटर साईकिल हीरो होण्डा सुपर स्प्लैन्डर बिना नंबर प्लेट बरामद हुई है।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अंकित पुत्र योगेन्द्र निवासी ग्राम चूनसा थाना बावरी जनपद शामिल।
हाल पता कस्बा व थाना बिनौली जनपद बागपत।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0सं0 173/18 धारा 392/411 भादवि थाना बावरी जनपद शामिल।
- 2-मु0अ0सं0 01/19 धारा 307 भादवि थाना बावरी जनपद शामिल।
- 3-मु0अ0सं0 02/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बावरी जनपद शामिल।
- 4-मु0अ0सं0 193/18 धारा 307 भादवि थाना भोराकलां जनपद मुजफ्फरनगर।
- 5-मु0अ0सं0 76/18 धारा 302 भादवि थाना आदर्श मण्डी जनपद शामिल।
- 6-मु0अ0सं0 02/19 धारा 452/307/506 भादवि थाना भोराकलां जनपद शामिल।
- 7-मु0अ0सं0 15/19 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बावरी जनपद शामिल।
- 8-मु0अ0सं0 153/22 धारा 506 भादवि थाना बावरी जनपद शामिल।
- 9-मु0अ0सं0 125/17 धारा 307/452/504 भादवि थाना बावरी जनपद शामिल।
- 10-मु0अ0सं0 336/22 धारा 384/323/352/504/506 भादवि थाना सरूरपुर जनपद मेरठ।
- 11-मु0अ0सं0 40/24 धारा 308/504/506 भादवि थाना सरूरपुर जनपद मेरठ।
- 12-मु0अ0सं0 103/24 धारा 384/353/504/507 भादवि थाना सरधना जनपद मेरठ।
- 13-मु0अ0सं0 0579/23 धारा 323/386/506 भादवि थाना सरधना जनपद मेरठ।
- 14-मु0अ0सं0 507/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

15-मु0अ0सं0 14/24 धारा 500/504 भादवि व 66डी आईटी एक्ट थाना साइबर क्राईम बागपत।

16-मु0अ0सं0 111/24 धारा 228ए भादवि थाना रमाला जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर ।
- एक मोटरसाईकिल हीरो होण्डा सुपर स्प्लैन्डर बिना नंबर प्लेट ।
- घटना में प्रयुक्त 03 मोबाईल फोन ।
- 02 सिमकार्ड ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री कृपेन्द्र सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री कृष्णवीर सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 3-का0 556 इल्यास थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 4-का0 889 रवि इन्दौलिया थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 5-का0 1130 सोनू तेवतिया थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।



प्रेसनोट

थाना खेकड़ा

दिनांक 07.06.2024

थाना खेकड़ा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 160/24 धारा 392 भादवि का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से लूटी हुई 17 समरसेविल पम्प, 30 टिल्लू पम्प, करीब 1700 किलोग्राम छोटे बड़े टीलर स्प्रिंग, एक कार्टून मेडिसिन व 500 किलोग्राम कल्टीवेटर टायनीस (कुल माल की कीमत लगभग 10 लाख रुपये) तथा घटना में प्रयुक्त 01 महिन्द्रा बोलेरो पिकअप नं0 UP-15GA-6978 बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 25.05.2024 को थाना खेकड़ा पर वादी विपिन पुत्र श्री विरेन्द्र निवासी गीता कॉलोनी नूरवाला पानीपत हरियाणा ने सूचना दी कि दिनांक 24.05.2024 की रात्रि समय करीब 23.40 बजे उसकी गाडी बोलेरो



पिकअप नं0 HR-67C-6719 का ड्राइवर जो कि पानीपत से जोधपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट कम्पनी से माल लेकर आगरा जा रहा था, वह ईस्टर्न पेरिफैरल हाइवे पर एक गाँव के पास गाड़ी रोककर सो गया था। तीन लोग गाड़ी के पास आये और उसकी खिडकी खुलवायी तथा उसे गाड़ी से उतार दिया तथा गाड़ी में से समरसिबल, मेडिसिन व अन्य एग्रीकल्चर से सम्बन्धित मशीनरी का कुछ सामान लूट कर ले गये। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 160/24 धारा 392 भादवि में पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं लुटेरे/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 160/24 धारा 392 भादवि का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से लूटी हुई 17 समरसेविल पम्प, 30 टिल्लू पम्प, करीब 1700 किलोग्राम छोटे बड़े टीलर रिप्रिंग, एक कार्टून मेडिसिन व 500 किलोग्राम कल्टीवेटर टायनीस (कुल माल की कीमत लगभग 10 लाख रुपये) तथा घटना में प्रयुक्त 01 महिन्द्रा बोलेरो पिकअप नं0 UP-15GA-6978 बरामद हुई है।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

- लूटी हुई 17 समरसेविल पम्प ।
- 30 टिल्लू पम्प ।
- करीब 1700 किलोग्राम छोटे बड़े टीलर स्प्रिंग ।
- एक कार्टून मेडिसिन व 500 किलोग्राम कल्टीवेटर टायनीस ।
- घटना में प्रयुक्त 01 महिन्द्रा बोलेरो पिकअप नं0 UP-15GA-6978

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

राजू पुत्र मुन्ना निवासी ग्राम धौलडी थाना जानी जनपद मेरठ ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0सं0 213/20 धारा 188/269/270 महामारी अधिनियम थाना जानी जनपद मेरठ।
- 2-मु0अ0सं0 222/22 धारा 395/397/323/341 भादवि थाना गोगाहेडी जनपद हनुमान गढ राजस्थान ।
- 3-मु0अ0सं0 160/24 धारा 392/411/342/34 भादवि थाना खेकडा जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 भूरेन्द्र सिंह थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 नरेशपाल सिंह थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 3-है0का0 292 सिराज खान थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 4-है0का0 45 अरुण कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 5-का0 607 कपिल कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 6-का0 250 कोमल थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 7-का0 164 नितिन कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 07.06.2024

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद

|

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है।



उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

महत्वपूर्ण सूचना:- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध अस्लाह का प्रयोग न करे तथा अवैध व लाईसेन्सी अस्लाह का प्रदर्शन न किया जाए। यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

वर्ष पुत्र दिनेश निवासी ग्राम बाघू थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना कोतवाली बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री सत्यम जंघाला थाना कोतवाली बागपत ।
- 3-है0का0 214 उमेश कुमार थाना कोतवाली बागपत ।
- 4-का0 396 विशाल पंवार थाना कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट
थाना बिनौली

दिनांक 07.06.2024

थाना बिनौली पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम में 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 01 गाड़ी बोलेरो पिकअप नं0 HR84-8544 जिसमें क्रूरतापूर्वक भरे हुए 05 पशु बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद बागपत में अपराधों की रोकथाम एवं पशु तस्करो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 01 गाड़ी बोलेरो पिकअप नं0 HR84-8544 जिसमें क्रूरतापूर्वक भरे हुए 05 पशु बरामद हुए हैं।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 156/2024 धारा 3/11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम में पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-शौकीन पुत्र मदारा निवासी ग्राम नानू थाना सरधना जनपद मेरठ ।
- 2-साहे आलम पुत्र बुनदू ग्राम नानू थाना सरधना जनपद मेरठ ।
- 3-सुनील कुमार पुत्र बलवीर निवासी ग्राम डोकी थाना दादरी जनपद हरियाणा ।

बरामदगी का विवरण-

- 01 गाड़ी बोलेरो पिकअप नं0 HR84-8544
- क्रुरतापूर्वक भरे हुए 05 पशु ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री सुभाषचन्द यादव थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 87 राकेश त्यागी थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 3-हो0गा0 400 रविन्द्र थाना बिनौली जनपद बागपत ।





प्रेस नोट

थाना छपरौली

दिनांक 07.06.2024

थाना छपरौली पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस बरामद हुआ है ।



उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना छपरौली पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

महत्वपूर्ण सूचना:- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध अस्लाह का प्रयोग न करे तथा अवैध व लाईसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए । यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सूरज पुत्र प्रदीप उर्फ मिंटू निवासी ग्राम जागौस थाना छपरौली जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री रामअवतार सिंह थाना छपरौली जनपद बागपत
- 2-का0 511 धर्मेन्द्र थाना छपरौली जनपद बागपत
- 3-का0 953 अंकुल थाना छपरौली जनपद बागपत

